निगरानी नगरपालिका अधिनियम, 2009 प्रकरण सं0 06/2013 (RCMS 2013/00031) अनवानी 1. सुभाष कुमार पुत्र श्री राजाराम **2. तिलकराज** पुत्र राजाराम जाति धवन, दुकान नम्बर 76, पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर **बनाम** 1. आयुक्त, नगरपरिषद् श्रीगंगानगर 2. **राजेन्द्र कुमार** पुत्र किशन गोपाल जाति गोयल, निवासी दुकान नम्बर 76, पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री प्रताप सिंह शेखावत उपस्थित नहीं एवं अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री सतीश जैन उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री सतीश जैन द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजास्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/ डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए प्रार्थना की है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण सुभाष कुमार एवं तिलकराज पुत्र राजाराम द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अन्तर्गत नगर परिषद्, श्रीगंगानगर के **आदेश दिनांक 18.10.2013 से अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में सार्वजनिक आम रास्ता (सड़क) 76 पिड धानमंडी श्रीगंगानगर का आवंटन किया गया,** को अप्रार्थी संख्या 2 की हद तक निरस्त करने के लिए पेश की थी और अब चूंकि धारा 73 के अन्तर्गत के प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दिनांक 10.06.2016 की उक्त अधिसूचना द्वारा शक्तियां दी जा चुकी है इसलिए इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी सुभाष धवन एवं तिलकराज द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए लौटाई जाये। प्रार्थी के अधिवक्ता को भी उक्त अधिसूचना के अनुसार सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु लौटाने में कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उक्त निगरानी दिनांक 18.11.2013 को इस न्यायालय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत पेश की थी। **जिसमें उसने नगर परिषद के आदेश दिनांक 18.10.2013 से अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में सार्वजनिक आम रास्ता (सड़क) 76 पिड धानमंडी श्रीगंगानगर का आवंटन किया गया, को** अप्रार्थी संख्या 2 की सम्पत्ति की हद तक **निरस्त करने की प्रार्थना की थी।** पूर्व में उक्त धारा 73(2) के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अर्थात जिला कलक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त **अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दे दी गई है।** इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई एवं निस्तारण करने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम ऑथोरिटी/ न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त **निगरानी सुभाष धवन वगै.(1) बनाम नगरपरिषद् एवं राजेन्द्र कुमार को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु उक्त निगरानी उसे लौटाई जाती है।** इस आश्य का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। **नगर परिषद्, श्रीगंगानगर को आदेश की प्रति भेजी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर